



राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़

पत्रांक:—आर0एम0पी0यू0/1290/2024

दिनांक:— 21 जून, 2024

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या,

समस्त राजकीय/अनुदानित/स्ववित्तपोषित महाविद्यालय,

संबद्ध राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय,

अलीगढ़।

विषय:—जल शक्ति अभियान: "Catch The Rain" 2024 के सफल क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।
महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक उप सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन के संलग्न पत्र संख्या 1334/सत्तर.3/2024 दिनांक: 18, जून, 2024 का अवलोकन करने का कष्ट करें।

पत्र के साथ संलग्न मुख्य सचिव, उ० प्र० शासन के पत्र दिनांक 30 मई 2024 में अंकित जल शक्ति अभियान: "Catch The Rain" 2024 के अन्तर्गत इस वर्ष कराये जाने वाले कार्यों में निम्न गतिविधियाँ सम्मिलित हैं:—

- (1) जल संरक्षण एवम् वर्षा संचयन के तहत लक्षित गतिविधियाँ।
- (2) पारंपरिक जल निकायों/जलस्रोतों का नवीनीकरण।
- (3) पुनः उपयोग बोरबेल पुनर्भरण संरचनाएं।
- (4) वाटरशेड का विकास।
- (5) गहन वनारोपण।
- (6) छोटी नदियों का कायाकल्प।
- (7) नारी शक्ति से जल शक्ति के थीम पर जन-सहभागिता के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम कराया जाना।

कृपया उपर्युक्त अनुसार अनुपालन सुनिश्चित करें।

संलग्न: यथोपरि

भवदीय

डॉ० (महेश कुमार)
कुलसचिव

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:—

1. मा० कुलपति जी, राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़।
2. उप सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा/अलीगढ़ मण्डल।

21.06.24
उप कुलसचिव

प्रेषक,

एस0पी0मिश्र,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
प्रयागराज।

2. कुलसचिव,
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक 18 जून, 2024

विषय: जल शक्ति अभियान: " *Catch The Rain 2024* के सफल क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-441/76-3-2024/23 जीडबल्यू/2017, दिनांक 30.05.2024 की छायाप्रति प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिये गये आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये इसकी सूचना शासन को एक सप्ताह में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(एस0पी0मिश्र)
उप सचिव।

संख्या 1334 / रातर-3-30/24 संख्या-441/76-3-2024/23जीडबल्यू/2024
प्रेषक, दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन। संख्या 698 / VIP PSHED/2024

सेवा में,
समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

मुख्य सचिव, कार्यालय,
उत्तर प्रदेश शासन।

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 30 मई, 2024

विषय: जल शक्ति अभियान: "Catch The Rain" 2024 के सफल क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत है कि जल संचयन, भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में सम्मिलित है। इसी उद्देश्य से वर्ष 2019 में मा0 प्रधानमंत्री महोदय द्वारा जल शक्ति अभियान (Catch the rain: when it falls where it falls) की शुरुआत की गयी थी। गत वर्षों में भी जल शक्ति अभियान के विभिन्न चरण संचालित किए गए हैं। इसी क्रम में दिनांक 09 मार्च 2024 को मा0 जल शक्ति मंत्री, भारत सरकार द्वारा "Nari Shakti se Jal Shakti" थीम के साथ देश के सभी जनपदों में जल शक्ति अभियान "कैच द रेन" के पंचम चरण का उद्घाटन किया गया। जल शक्ति अभियान: "Catch The Rain" 2024 के अन्तर्गत इस वर्ष कराये जाने वाले कार्यों में निम्न गतिविधियाँ सम्मिलित है:-

- (1) जल संरक्षण एवम् वर्षा संचयन के तहत लक्षित गतिविधियाँ।
- (2) पारंपरिक जल निकायों/जलस्रोतों का नवीनीकरण।
- (3) पुनः उपयोग, बोरवेल पुनर्भरण संरचनाएं।
- (4) वाटरशेड का विकास।
- (5) गहन वनारोपण।
- (6) छोटी नदियों का कायाकल्प।
- (7) नारी शक्ति से जल शक्ति के थीम पर जन-सहभागिता के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम कराया जाना।

उक्त के अतिरिक्त जनपद की हाइड्रोजियोलॉजिकल परिस्थिति के उपयुक्त जल संचयन सम्बन्धी अन्य कार्य।

जल शक्ति अभियान की सफलता हेतु आपके स्तर पर निम्नवत कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है:-

प्रदेश के समस्त जिलों में मानसून के प्रारम्भ से पूर्व प्राथमिकता पर आवश्यकतानुसार जल स्रोतों यथा तालाब, कृत्रिम पुनर्भरण संरचना, छोटी नदियाँ, चेकडैम, जल निकाय के डिसिल्टिंग/ पुनरूद्धार के कार्य पूर्ण कर लिए जायें, जिससे कि वर्षा ऋतु में अधिकाधिक वर्षा जल का संचयन करते हुए जल शक्ति अभियान को सार्थकता प्रदान की जाए।

(2) आपके जनपद के समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय भवनों यथा: कार्यालय भवन, प्राथमिक विद्यालय, आगनबाड़ी केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पंचायत भवन, इत्यादि पर अनिवार्य रूप से रूफटाप रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की स्थापना करायी जाए।

संख्या 1334 / रातर-3-30/24

30/5/24

31/5/24
उषा यादव
निजी सचिव,
विशेष सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन
2096/KS
D-S

63
4/6/24

(3) यह भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि गत वर्षों में जनपदों में जिन शासकीय/अर्द्धशासकीय भवनों पर रूफटाप रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की स्थापना की गयी है उनका निरीक्षण कर यथावश्यक सफाई या मरम्मत करा लिया जाए ताकि वे क्रियाशील रहे।

(4) नगरीय क्षेत्रों में आने वाले समस्त पार्क अथवा आपके नियन्त्रणाधीन सार्वजनिक स्थलों में वर्षा जल संचयन के प्रभावी उपाय किए जाएं।

(5) जनपद के सभी अमृत सरोवर का निरीक्षण कराकर यदि कहीं जल प्रवाह में रूकावट हो, उसे ठीक किया जाए एवं यदि सिल्ट या वनस्पतियाँ हो, तो उसे भी साफ करा लिया जाए। यदि कहीं अमृत सरोवर निर्माणाधीन हो तो उसे शीघ्र पूरा करा लिया जाये।

(6) "Catch The Rain" 2024 विषय पर जन जागरूकता हेतु स्कूली बच्चों एवं समाज में विशेष अभियान, रैलियाँ, गोष्ठियाँ, वार्ता आदि भी कराया जाए जिससे जल संरक्षण एक जन आन्दोलन का रूप ले सके।

3- अवगत कराना है कि इस अभियान को गति प्रदान करने हेतु आपके जनपदों में पदास्थापित मुख्य विकास अधिकारी को उक्त कार्य हेतु जनपद स्तरीय नोडल अधिकारी भी नामित किया गया है।

4- अतएव इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जल शक्ति अभियान-"Catch The Rain" 2024 को गति प्रदान करने, उपरोक्तानुसार उल्लिखित कार्यों को सम्बन्धित विभागों के माध्यम से प्राथमिकता पर कराने के साथ ही जल शक्ति अभियान हेतु विकसित भारत सरकार के MIS पोर्टल (<https://jsactr.mowr.gov.in>) पर उक्त कार्यों की ससमय सूचना भी अपलोड कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

दुर्गा शंकर मिश्र
मुख्य सचिव।

संख्या-441(1)/76-3-2024/तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा पुनरोद्धार विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन, भूमि संसाधन विभाग, कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, शिक्षा विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं युवा कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश।
3. प्रबन्ध निदेशक, जल निगम (ग्रामीण/शहरी), उत्तर प्रदेश।
4. मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,


(अनुराग श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव